**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2926**

**मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**आंध्र प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप**

**2926 श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा क्षेत्र-वार कितने स्टार्टअप को मान्यता दी गई है;

(ख) राज्य में स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत कितने स्टार्टअप ने कर छूट प्राप्त की है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में स्टार्टअप द्वारा कितने रोजगार सृजित किये गए है;

(घ) राज्य में युवाओं में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में हरित प्रौद्योगिकी और कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए विशेष सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जितिन प्रसाद)**

**(क):** स्टार्टअप इंडिया पहल दिनांक 16 जनवरी, 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य, नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम का निर्माण करना है। इस पहल के तहत, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक आंध्र प्रदेश राज्य से 4,004 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का उद्योग-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

**(ख):** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-आईएसी के तहत, पात्र स्टार्टअप लगातार तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए पात्र व्यवसाय से प्राप्त मुनाफे और लाभ के 100% के बराबर राशि की कटौती का दावा कर सकता है। आंध्र प्रदेश राज्य से, 22 संस्थाओं को 31 जनवरी 2026 तक धारा 80-आईएसी के तहत पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

**(ग):** आंध्र प्रदेश राज्य के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 31 जनवरी 2026 तक 34,584 प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन किया है।

**(घ) और (ड.):** सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में युवाओं के बीच स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सहित देशभर में हरित प्रौद्योगिकी और कृषि-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए भी उपाय किए हैं। ऐसे उपायों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

दिनांक 31 जनवरी 2026 तक, 72 संस्थाओं को हरित प्रौद्योगिकी उद्योग में स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और आंध्र प्रदेश राज्य से 125 संस्थाओं को कृषि-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

*****

**अनुबंध-I**

**दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2926 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**दिनांक 31 जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश राज्य में स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उद्योग-वार संख्या निम्नानुसार है:**

| **उद्योग** | **स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या** |
|---|---|
| विज्ञापन | 18 |
| एरोनॉटिक्स एयरोस्पेस और रक्षा | 63 |
| कृषि | 335 |
| एआई | 153 |
| हवाईअड्डा का संचालन | 2 |
| एनेलिटिक्स | 18 |
| एनीमेशन | 7 |
| एआर वीआर (ऑगमेंटेड + वर्चुअल रिएलटी) | 14 |
| आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन | 13 |
| कला और फोटोग्राफी | 6 |
| ऑटोमोटिव | 95 |
| जैव प्रौद्योगिकी | 39 |
| रसायन | 26 |

| **उद्योग** | **स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या** |
|---|---|
| कंप्यूटर विजन | 5 |
| निर्माण | 291 |
| डेटिंग मैट्रीमोनियल | 1 |
| डिज़ाइन | 20 |
| शिक्षा | 273 |
| एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर | 60 |
| इवेंट्स | 12 |
| फैशन | 27 |
| वित्त प्रौद्योगिकी | 80 |
| खाद्य एवं पेय पदार्थ | 220 |
| हरित प्रौद्योगिकी | 72 |
| हेल्थकेयर और लाइफसाइंसेज | 314 |
| घरेलू सेवाएं | 22 |
| मानव संसाधन | 74 |
| इंडिक लैंग्वेज स्टार्टअप्स | 11 |
| इंटरनेट ऑफ थिंग्स | 52 |
| आईटी सेवाएं | 605 |

| **उद्योग** | **स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या** |
|---|---|
| लॉजिस्टिक्स | 32 |
| मार्केटिंग | 60 |
| मीडिया एवं मनोरंजन | 37 |
| नैनो टेक्नॉलाजी | 4 |
| गैर-नवीकरणीय ऊर्जा | 59 |
| अन्य विशेष खुदरा विक्रेता | 43 |
| अन्य | 42 |
| पालतू जानवर और पशु | 4 |
| व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएं | 151 |
| रीयल एस्टेट | 28 |
| नवीकरणीय ऊर्जा | 99 |
| रिटेल | 64 |
| रोबोटिक्स | 43 |
| सुरक्षा | 7 |
| सुरक्षा समाधान | 19 |
| सामाजिक प्रभाव | 20 |
| सोशल नेटवर्क | 12 |

| **उद्योग** | **स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या** |
|---|---|
| खेल-कूद | 12 |
| प्रौद्योगिकी हार्डवेयर | 134 |
| दूरसंचार और नेटवर्किंग | 29 |
| वस्त्र और परिधान | 35 |
| खिलौने और खेल | 13 |
| परिवहन और भंडारण | 55 |
| यात्रा और पर्यटन | 43 |
| अपशिष्ट प्रबंधन | 31 |
| **कुल** | **4004** |

*****

**अनुबंध-II**

**दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2926 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में युवाओं के बीच स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:**

1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, नामत: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में स्वावलंबिनी कार्यक्रम, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और उत्तर-पूर्व क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी) शामिल हैं।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं/इच्छुक उद्यमियों को स्वरोजगार या उद्यमिता को करियर विकल्पों में से एक के रूप में विचार करने के लिए प्रेरित करना है।

3. नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप (सीआईएफ) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के युवाओं के बीच नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।

4. शिक्षा मंत्रालय का नवप्रयोग प्रकोष्ठ (एमआईसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), सभी शैक्षणिक संस्थानों में नवप्रयोग व उद्यमिता को बढ़ावा देता है।

5. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत (माई भारत) नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना जैसी युवा-केंद्रित पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों (ईएलपी), स्वयंसेवा के अवसरों, मेंटरशिप कार्यक्रम आदि के माध्यम से युवा विकास और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है।

6. रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता नवप्रयोग स्कीम (आईडेक्स) और आईडेक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी (अदिति) जैसे कार्यक्रम रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को शामिल करते हुए नवप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवप्रयोग (आरडीआई) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, डीएसटी युवाओं में नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'नवप्रयोगों के विकास और उनका लाभ उठाने हेतु राष्ट्रीय पहल (निधि)' को कार्यान्वित कर रहा है। इस पहल में निधि-प्रयास (प्रोटोटाइप अनुदान सहायता), निधि-ईआईआर (एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस फेलोशिप), निधि-आईटीबीआई (टियर-II और टियर-III क्षेत्रों में समावेशी टीबीआई) कार्यक्रम शामिल हैं। डीएसटी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) को भी लागू कर रहा है, जिसके तहत चार विषयगत केंद्र (टी-हब) स्थापित किए गए हैं।

8. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) अपनी घटक प्रयोगशालाओं/संस्थानों के माध्यम से "एकीकृत कौशल पहल कार्यक्रम" का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के संचालन के माध्यम से युवाओं को आवश्यक प्रौद्योगिकीय कौशल से तैयार करना है।

9. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाईरैक) के तहत अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ बायोनेस्ट (बायोइन्क्यूबेटर्स नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजीज) और ई-युवा (युवाओं को अभिनव अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहित करना) स्कीमों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और इन्क्यूबेशन-पूर्व केंद्र स्थापित किए हैं।

10. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जेनेसिस (जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स) स्कीम, टाइड 2.0 (टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स) स्कीम और इंडिया एआई मिशन जैसी पहलें की जा रही हैं।

11. सरकार के स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) के तहत, एमएसडीई देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से विभिन्न स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

12. स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, प्रमुख स्कीम नामत: स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह सहित समय-समय पर विभिन्न कार्यकलाप और कार्यक्रम भी लागू करती है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ के रूप में इकोसिस्टम हेतु की जाने वाली पहल को भी प्रोत्साहित करती है और सहायता प्रदान करती है, जो हितधारकों के लिए नेटवर्क और सहयोग के लिए एक जीवंत मंच के रूप में कार्य करती है। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाने के लिए भी स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और स्केलिंग अप में सहायता करने की पहल की गई है। सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाने के लिए विनियामक वातावरण को सरल बनाने और अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए व्यापार शुरू करने, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ को कम करने सहित विभिन्न उपाय भी किए हैं।

*****

**अनुबंध-III**

**दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2926 के भाग (घ) और (ङ.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**आंध्र प्रदेश राज्य सहित देशभर में हरित प्रौद्योगिकी और कृषि-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:**

1. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने कृषि निर्यात को बढ़ाने की दिशा में ध्यान देने के साथ कृषि खाद्य और कृषि-प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'भारती' (कृषि- प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता के लिए भारत का केंद्र) की शुरुआत की।
2. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत "नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय सहायता प्रदान करके और एक इन्क्यूबेशन ईकोसिस्टम का विकास करके नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राष्ट्रीय कृषि नवप्रयोग कोष (एनएआईएफ) नामक परियोजना के तहत कृषि-आधारित स्टार्टअप को सहायता प्रदान कर रहा है। इसके दो घटक हैं, जैसे कि (I) नवप्रयोग निधि; (II) इन्क्यूबेशन निधि और राष्ट्रीय समन्वय इकाई (एनसीयू)।
4. कृषि उपज मूल्य श्रृंखला हेतु प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप के वित्तपोषण हेतु मिश्रित पूंजीगत सहायता के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (एग्रीश्योर) को अनुमोदन दिया गया है।
5. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने भारत में विद्युत वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु 'महा' (मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इम्पैक्ट एरियाज) के तहत ईवी-मिशन कार्यक्रम शुरू किया है।
6. भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से सरकार, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) को कार्यान्वित कर रही है।
7. उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, देश में नवीनतम, अत्याधुनिक सौर पीवी विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को शामिल करने को सहायता प्रदान करती है, क्योंकि सौर पीवी विनिर्माताओं को अधिक कुशल और लचीले

सौर पीवी मॉड्यूल का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

8. देशभर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम को अधिसूचित किया गया था।

9. एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम पर उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन स्कीम: सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम का उद्देश्य, एसीसी बैटरियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करना है।

10. अनुसंधान, विकास और नवप्रयोग (आरडीआई) स्कीम के तहत, वित्तपोषण के लिए विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई है, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा और ट्रांजिशन, और जलवायु संबंधी कार्रवाई (विभिन्न हरित प्रौद्योगिकियों सहित); आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस (एआई) और कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित भारतीय समस्याओं के लिए इसका अनुप्रयोग; साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था, जिसमें डिजिटल कृषि (कृषि-प्रौद्योगिकी) भी शामिल है।

11. कृषि-प्रौद्योगिकी और हरित प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में नवप्रयोग को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया के तहत कुछ प्रमुख पहलों में, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के भाग के रूप में स्थिरता और कृषि-नवप्रयोग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नवप्रयोग को पहचानना, भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के तहत जलवायु-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए ईकोसिस्टम के सहयोग से बड़ी चुनौतियों संबंधी आयोजन करना और जलवायु प्रौद्योगिकी नवप्रयोग में स्टार्टअप्स के लिए हैकेथॉन एवं टिकाऊ समाधान शामिल हैं।

*****